

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25252-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३६ सन् २०११.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०११.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ६ का संशोधन.
४. धारा ११ का संशोधन.
५. धारा १९ का संशोधन.
६. धारा १९-ख का संशोधन.
७. धारा २१ का संशोधन.
८. धारा ३१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३६ सन् २०११.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(चच) “विनिर्माता” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ से या यांत्रिक साधनों द्वारा कृषि-उपज का विनिर्माण करता हो;

(चचच) “विनिर्माण” से उसके व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है, अपरिष्कृत कृषि-उपज या उसके उत्पाद से, हाथ से या मशीनों द्वारा, उन्हें नया रूप, गुणवत्ता, विशेषता देकर या उनके सम्मिश्रण से, उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन;”;

(तीन) खण्ड (ज) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” स्थापित किए जाएं;

(चार) खण्ड (त) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

(एक) प्रथम परन्तुक में, खण्ड (ख) में, कोलन के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग) अनुसूची के भाग सात, तथा आठ में अधिसूचित कृषि उपज जो अधिसूचित मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो;”;

(दो) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, ऐसे मण्डी-क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन दी गई हो. राज्य सरकार,

अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (ग) की बाबत् क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिये भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निदेश जारी कर सकेगी, और इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया जाना बन्धनकारी होगा.”.

४. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” स्थापित किए जाएं. धारा ११ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १९ में,—

धारा १९ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (दो) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” स्थापित किए जाएं;

(ख) परंतुक में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, चतुर्थ परंतुक में, शब्द “प्रसंस्करण के लिए” के स्थान पर शब्द “प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए” स्थापित किए जाएं और शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता” स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (४) में, प्रथम स्थान पर आने वाले शब्द “प्रसंस्कृत” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्कृत, विनिर्मित” स्थापित किए जाएं और द्वितीय स्थान पर आने वाले शब्द “प्रसंस्कृत” के स्थान पर शब्द “प्रसंस्कृत या विनिर्मित” स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (५) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” स्थापित किए जाएं;

(पांच) उपधारा (६) में, परंतुक में, शब्द “प्रसंस्कृत” के स्थान पर शब्द “प्रसंस्कृत या विनिर्मित” स्थापित किए जाएं

६. मूल अधिनियम की धारा १९-ख में, उपधारा (१) में, शब्द “प्रसंस्करण” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करण या विनिर्माण” स्थापित किए जाएं. धारा १९-ख का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा(१) में, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता” के स्थान पर, शब्द “प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता” स्थापित किए जाएं. धारा २१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, शब्द “दबाने (प्रेसिंग)” के स्थान पर, शब्द “विनिर्माण” स्थापित किए जाएं. धारा ३१ का संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सिविल अपील क्रमांक १३९० सन् २००३, ओरिएण्ट पेपर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य और अन्य में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक ९ नवम्बर, सन् २००६ में “प्रसंस्करण” और “विनिर्माण” शब्दों की विस्तृत व्याख्या की है और उनमें भिन्न-भिन्न शब्दों के रूप में अन्तर प्रकट किया है और परिणामतः यह विनिश्चित किया है कि मण्डी समिति को ऐसी अधिसूचित कृषि-उपज पर, चाहे वह मण्डी क्षेत्रों में राज्य के भीतर से लाई गई हो या राज्य के बाहर से, और जिसका उपयोग केवल प्रसंस्करण के लिए किया जाता हो, न कि विनिर्माण के लिए, मण्डी शुल्क उद्गृहीत करने की शक्ति होगी। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से, अधिनियम में शब्द “विनिर्माण” की परिभाषा को जोड़े जाने और अधिनियम की धारा २, ११, १९, १९-ख, २१ और ३१ को, यथोचित रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है। उक्त प्रस्तावित संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुरूप हैं।

२. यह विनिश्चय किया गया है कि फल तथा सब्जी को, जो कि जल्द खराब होने वाली अधिसूचित कृषि-उपज हैं, अधिसूचित मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय करने तथा विक्रय करने हेतु अनुज्ञा दी जाए। अतएव मूल अधिनियम की धारा ६ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २१ नवम्बर, २०११.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी संशोधन विधेयक, २०११ के खण्ड ३ के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज जो मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय की गई अथवा बेची गई हो के लिए छूट प्रत्याहृत करने हेतु राज्य सरकार को विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है।

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 7028-407-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 36 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (TRITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 6.
4. Amendment of Section 11.
5. Amendment of Section 19.
6. Amendment of Section 19-B.
7. Amendment of Section 21.
8. Amendment of Section 31.

MADHYA PRADESH BILL

No. 36 OF 2011

**THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (TRITIYA SANSHODHAN)
VIDHEYAK, 2011.****A Bill further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

**Amendment of
Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1),—

- (i) in clause (b), for the word “processor” wherever it occurs, the words “processor, manufacturer” shall be substituted;
- (ii) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely :—
 - “(ff) “manufacturer” means a person who manufactures agricultural produce by manual or mechanical means;
 - (fff) “manufacturing” with its grammatical variations and cognate expressions means the production of articles for use from raw agricultural produce or its product, by giving them new forms, qualities, properties or combinations, whether by hand-labour or by machinery;”;
- (iii) in clause (j), for the words “a processor”, the words “a processor, a manufacturer” shall be substituted;
- (iv) in clause (p), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted.

**Amendment of
Section 6.**

3. In Section 6 of the principal Act,—

- (i) in the first proviso, in clause (b), for the colon, the semi-colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely :—
 - “(c) agricultural produce notified in Part VII and VIII of the Schedule which is purchased or sold outside the notified market yard :“;
- (ii) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided further that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, withdraw the exemption in respect to such market area as may be specified in the notification under sub-clause (ii) of clause (a) of the preceding proviso. The State Government may also, by notification, withdraw the exemption and issue directives for the agricultural produce purchased or sold with respect to clause (c) of the preceding proviso, and the directives so issued would be bound to be complied with.”.

4. In Section 11 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted. **Amendment of Section 11.**
5. In Section 19 of the Principal Act,— **Amendment of Section 19.**
- (i) in sub-section (1),
- (a) in clause (ii), for the word “processing” the words “processing or manufacturing” shall be substituted;
- (b) in the proviso, for the word “processing” the words “processing or manufacturing” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), in the fourth proviso, for the words “for processing”, the words “for processing or for manufacturing” shall be substituted and for the word “processor” wherever it occurs, the words “processor or manufacturer” shall be substituted;
- (iii) in sub-section (4), for the word “processed” occurring at the first place, the words “processed, manufactured” shall be substituted and for the word “processed” occurring at the second place, the words “processed or manufactured” shall be substituted;
- (iv) in sub-section (5), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted;
- (v) in sub-section (6), in the proviso, for the word “processed”, the words “processed or manufactured” shall be substituted.
6. In Section 19-B of the Principal Act, in sub-section (1), for the word “processing”, the words “processing or manufacturing” shall be substituted. **Amendment of Section 19-B.**
7. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), for the word “processor”, the words “processor, manufacturer” shall be substituted. **Amendment of Section 21.**
8. In Section 31 of the Principal Act, for the word “pressing”, the word “manufacturing” shall be substituted. **Amendment of Section 31.**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Civil Appeal No. 1390 of 2003 Orient Paper and Industries Limited Versus State of Madhya Pradesh and Others, the Supreme Court of India in its judgment dated 9th November, 2006 has widely interpreted the term “processing” and “manufacturing” and distinguished them as different term and resultantly decided that the market committee has power to levy market fee on the notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market areas and is used for processing only and not for manufacturing. In order to remove this lacuna, it is decided to introduce the definition of term “manufacturing” in the Act and to amend Sections 2, 11, 19, 19-B, 21 and 31 of the Act, suitably. The said proposed amendments are in conformity with the said judgment of the Supreme Court.

2. It has been decided to allow the purchase and sell of the Fruits and Vegetables, which are perishable notified agricultural produce, outside the notified market yard. Therefore, suitable amendment is proposed in Section 6 of the Principal Act.

3. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated, the 21st November, 2011.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA

Member-in-Charge.